भाग - 3

- ➢ अन्तर मंत्रालयीन संचालन समिति (अ.म.सं.स.)

- ➢ तकनीकी सलाहकार सह मॉनिटरिंग समिति (त.स.मा.स.)

- ➢ शिकायत प्रकोष्ठ

[01/04/1999 से 31/03/2007 तक]

(30/04/2005 तक यथा संशोधित)

भाग-1

अन्तर मंत्रालयीन संचालन समिति

1. समिति का गठन

वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक अन्तर मंत्रालयीन संचालन समिति का प्रौ.उ.नि. योजना के संचालन हेतु मैक्रो आधार पर नीतियों मानको और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए गठन किया गया है । इस समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

1.	सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, (भा.स.)	अध्यक्ष
2.	सचिव, व्यय विभाग, भारत सरकार	सदस्य
3.	सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4.	सचिव, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5.	सचिव, बैंकिंग विभाग, भारत सरकार	सदस्य
6.	अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7.	वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
8.	पटसन (जूट) आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
9.	सलाहकार, योजना आयोग, (वस्त्र उद्योग के प्रभारी)	सदस्य
10.	आई.डी.बी.आई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,	सदस्य
11.	सिडबी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,	सदस्य
12.	आईएफसीआई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,	सदस्य
13.	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
14.	अध्यक्ष, एक्जिम बैंक	सदस्य
15.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र अभियांत्रिकी उद्योग परिसंघ (एफआईटीईआई)	सदस्य
16.	अध्यक्ष, भारतीय कॉटन मिल्स परिसंघ (आईसीएमएफ)	सदस्य
17.	अध्यक्ष, भारतीय आर्ट सिल्क वीविंग उद्योग परिसंघ (एफआईएएसडब्ल्यूआई)	सदस्य
18.	अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल परिसंघ (आईडब्ल्यूएमएफ)	सदस्य
19.	अध्यक्ष, विद्युत करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पीडीईएक्ससीआईएल)	सदस्य
20.	अध्यक्ष, भारतीय ज्यूट मिल परिसंघ (आईजेएमए)	सदस्य
21.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र निर्माता परिसंघ (सीएमएआई)	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव, [टफ्स (टीयूएफएस) के प्रभारी अधिकारी]	सदस्य-सचिव

भाग-I

2. समिति का कार्य :-

संचालन समिति का कार्य निम्नानुसार होगा :-

(i) समिति प्रौ.उ.नि. योजना के प्रचालन हेतु मानक एवं दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी जिसमें विवरण जैसे पुर्नभुगतान (ऋण वापसी)की अवधि, मार्जिन मनी की आवश्यकतायें आदि का उल्लेख होगा । यद्यपि निर्धारित दिशा-निर्देश नोडल एजेन्सियों द्वारा प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत आने वाली भावी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत मामलों के तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, व्यापारिक सम्भाव्यता एवं उनकी बैंक से लेन-देन की क्षमता के मूल्यांकन के लिए बनाये गये दिशा-निर्देशों के विरूद्ध नहीं होगें।

समिति "प्रौद्योगिकी उन्नयन" की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करेगी वे इसके साथ-साथ वस्त्र के प्रोसेसिंग की गुणवत्ता में सुधार, ब्रान्ड इक्विटी की स्थापना सुनिश्चित करेगी संक्षेप में इकाई की उच्च यूनिट वेल्यू रिब्लाइजेशन तथा उत्पादों की अपेक्षाकृत बेहत्तर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी । विशेष जोर मौजूदा उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन पर दिया जायेगा और इसके लिए पुरानी मशीनों के स्थान पर समान तकनीकी स्तर की नवीन मशीन नहीं स्थापित की जायेगी ।

(ii) समिति समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी ।

(iii) समिति प्रत्येक दो साल में योजना की कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी जिससे पता चल सके कि योजना के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा क्या है और किस हद तक लक्ष्य प्राप्त किया गया है और इसके द्वारा वे योजना को किस प्रकार प्रभावी रूप से लागू किया जाए इस बारे में सलाह देंगे ।

(iv) समिति आवश्यक सुधार करेगी/सुधार के लिए सुझाव देगी ।

(v) समिति चाहे तो प्रौ.उ.नि. योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक तदर्थ समिति गठित कर सकेगी ।

(vi) समिति योजना के लागू होने के प्रथम वर्ष कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करेगी और बाद में कम से कम छः माह में एक बार अथवा जब आवश्यक समझे बैठक करेगी ।

(vii) समिति भारत सरकार को योजना किस स्तर तक और किस प्रकार लागू की जा रही है, के बारे में जानकारी देती रहेगी ।

3. विविध :-

3.1 सरकारी सदस्य के संबंध में यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ते संबंधी यदि कोई व्यय होगा तो उसे संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जायेगा जबकि गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.एफ.6(26)-आर-IV/59 दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के अनुसार यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ते के लिए दावा कर सकेंगे ।

3.2 इस बारे में सचिवालय सहायता वस्त्र आयुक्त द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

भाग-दो

तकनीकी सलाहकार सह मॉनिटरींग समिति

1. समिति का गठन

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने उनके संकल्प सं.28/1/99-सीटीआई दिनांक 31.3.99 के पैरा 5 में दिये अनुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) हेतु आदेश सं.28/5/99-सीटीआई दिनांक 30 जून,1999 के आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति गठित की है । आई.एम.एस.सी ने उनकी पांचवी बैठक में निर्णय लिया है कि तकनीकी सलाहकार समिति की भूमिका मे विस्तार करके कार्य योजना की मॉनिटरींग को भी शामिल कर लिया है । वर्तमान में तकनीकी सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार है :-

1.	श्री सुबोध कुमार, वस्त्र आयुक्त, मुंबई	संयोजक
2.	पटसन (जूट) आयुक्त, कोलकाता	सदस्य
3.	डॉ. एम.एम. धारिया, निदेशक, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान परिसंघ, अहमदाबाद	सदस्य
4.	डॉ. ई.एच. दारूवालिया, सलाहकार, मुंबई वस्त्र अनुसंधान परिसंघ, मुंबई	सदस्य
5.	श्री एम. के. बर्धन, निदेशक सिल्क एवं आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान परिसंघ	सदस्य
6.	श्रीमती एस. पटवर्धन, निदेशक ऊन अनुसंधान असोसिएशन, थाने	सदस्य
7.	डॉ. टी. एच. सोमशेखर, निदेशक सेन्ट्रल सिल्क टेक्नोलाजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बैंगलोर	सदस्य
8.	डॉ. के. जयचन्द्रन, निदेशक भारतीय जूट औद्योगिक अनुसंधान संगठन, कोलकाता	सदस्य
9.	डॉ. एच. पी. भट्टाचार्या, पदासीन प्राध्यापक डॉ. जी के. देवराजुलु चेयर, द्वारा मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग आई.आई.टी. मुंबई	सदस्य

10.	भारतीय कॉटन मिल परिसंघ, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	भारतीय ऊनी मिल परिसंघ, मुंबई के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	भारतीय आर्ट सिल्क वीविंग उद्योग परिसंघ, सूरत के प्रतिनिधि	सदस्य
13.	विद्युत करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पेडेक्सील), मुंबई के प्रतिनिधि	सदस्य
14.	इंडियन टेक्सटाईल इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ, मुंबई के प्रतिनिधि	सदस्य
15.	भारतीय जूट मिल्स परिसंघ, कोलकाता के प्रतिनिधि	सदस्य
16.	उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य

योजना की प्रगति एवं कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित किया गया है ।

1.	महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
2.	कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (प्रौ.उ.नि.प्रकोष्ठ), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई	सदस्य
3.	कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (प्रौ.उ.नि.प्रकोष्ठ), भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, लखनऊ	सदस्य
4.	कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (प्रौ.उ.नि.प्रकोष्ठ), भारतीय औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष, भारतीय बैंक संगठन मुंबई	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र निर्माता संगठन, मुंबई	सदस्य
7.	प्रेसीडेन्ट, अखिल भारतीय माडर्न वस्त्र प्रोसेसर्स संगठन (एआईएमटीईएक्स), कोईम्बतुर	सदस्य
8.	प्रेसीडेन्ट, अखिल भारतीय वस्त्र निर्माता संगठन (एआईएमटीईएक्स), मुंबई,	सदस्य

अन्य कोई तकनीकी एक्सपर्ट, उद्योग का प्रतिनिधि अथवा सहयोजित बैंकों के प्रतिनिधि/एसएफसी/एसआईडीसी/दोहरे कार्य /आईडीसी को जब आवश्यकता पड़े विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा सकता है ।

2. कार्य :-

तकनीकी सलाहकार सह मॉनीटरिंग समिति का उनके तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य के अतिरिक्त कार्य निम्नानुसार होगा :-

i) समिति योजना के प्रगति की समीक्षा तथा उसकी प्रचालन की समीक्षा बारीकी से करेगी और प्रशासनिक एवं उसके प्रचालन संबंधी गतिरोधो को दूर करेगी ।

ii) समिति अन्तर बैंकीय एवं प्राथमिक उधारदाता संस्थानों नोडल एजेन्सियों के मामलों में का समन्वयन एवं मामलो को निपटायेगी ।

iii) समिति अन्तरमन्त्रालयीन संचालन समिति (आईएमएससी) को योजना के कार्यान्वयन के विस्तार एवं उसकी दिशा के बारे में जानकारी देती रहेगी ।

3. समिति सामान्यतः कम से कम माह में एक बार बैठक करेगी ।

4. समिति इस योजना के बारे में उनके द्वारा तकनीकी एवं योजना से संबंधित अन्य मामलों के बारे में लिए गये निर्णयों के बारे में सरकार को अवगत कराती रहेगी ।

5. विविध

i) सरकारी सदस्य के संबंध में यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ते संबंधी यदि कोई व्यय होगा तो उसे संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जायेगा जबकि गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.एफ.6(26)-आर-IV/59 दिनांक 5 सितम्बर, 1960के अनुसार यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ते के लिए दावा कर सकेंगे ।

ii) इस बारे में सचिवालय सहायता वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

भाग - 03

शिकायत प्रक्रोष्ठ

वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा इस योजना का कार्यक्षेत्र संबंधी कार्यान्वयन किया जा रहा है। वस्त्र आयुक्त ने श्रीमती शशी सिंह, निदेशक, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है । यदि कोई शिकायत हो तो उसे सम्पूर्ण विवरण सहित श्रीमती शशी सिंह, संयुक्त वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48 न्यू मरीन लाईन्स, मुंबईः 400 020 फोन नं.022-22031508, फैक्स सं.022-22002495, ई-मेल dirss@txcindia.com. पर भेज सकते हैं । इस पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय में विचार किया जायेगा अथवा यदि उपयुक्त हुआ तो वस्त्र आयुक्त, श्री जे.एन. सिंह की अध्यक्षता में प्रत्येक माह में होनेवाली तकनीकी सलाहकार सह मॉनिटरिंग समिति की मासिक बैठक में उस पर विचार किया जायेगा ।

2. वस्त्र मंत्रालय में भी शिकायत प्रकोष्ठ खोला गया है । शिकायत संबंधी मामले सम्पूर्ण विवरण सहित उसे वस्त्र मंत्रालय (प्रौ.उ.नि.यो.प्रकोष्ठ) को प्रेषित कर सकते हैं **ध्यानाकर्षण :**

निदेशक (सी.टी-1 अनुभाग), वस्त्र मंत्रालय, रूम नं.269-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली : 110 011. फोन नं.011-23018142, फैक्स नं.011-23794284 E mail : tcti@ ub.nic.in.